

**बिहार सरकार,
कृषि विभाग।**

पत्र संख्या— रा०कृ०वि०यो०को०—17/2014—
प्रेषक,

5735 / कृ०, पटना, दिनांक 18/12, 2014

विश्वनाथ चौधरी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण कार्यक्रम का 615.71084 लाख रुपये (छः करोड़ पन्द्रह लाख एकहत्तर हजार चौरासी रुपये), मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का 2250.00 लाख रुपये (बाईस करोड़ पच्चास लाख रुपये), मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण कार्यक्रम का 1500.015 लाख रुपये (पन्द्रह करोड़ एक हजार पाँच सौ रुपये) एवं आकस्मिकता कार्यक्रम का 191.00 लाख रुपये (एक करोड़ एकानवे लाख रुपये) कुल 4556.72584 लाख रुपये (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रु०) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 729.07613 लाख रुपये (सात करोड़ उनतीस लाख सात हजार छः सौ तेरह रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण कार्यक्रम का 615.71084 लाख रुपये (छः करोड़ पन्द्रह लाख एकहत्तर हजार चौरासी रुपये), मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का 2250.00 लाख रुपये (बाईस करोड़ पच्चास लाख रुपये), मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण कार्यक्रम का 1500.015 लाख रुपये (पन्द्रह करोड़ एक हजार पाँच सौ रुपये) एवं आकस्मिकता कार्यक्रम का 191.00 लाख रुपये (एक करोड़ एकानवे लाख रुपये) कुल 4556.72584 लाख रुपये (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रु०) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 729.07613 लाख रुपये (सात करोड़ उनतीस लाख सात हजार छः सौ तेरह रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से संशोधित उद्व्यय के आलोक में 4556.72584 लाख रुपये (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रु०) के विरुद्ध कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम का मदवार विवरण निम्न प्रकार है (राशि लाख रुपये में) :-

मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	वित्तीय लक्ष्य
1. कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण की योजना	संख्या	3		615.71084
2. मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम	एकड़	75000	3000.00 रु० प्रति एकड़	2250.00

रामबाबू (आभाशु सी० जैन)

पर पौधारोपण, ग्रास टर्फिंग का कार्य, बांध की नई मिट्टी में कटाव आदि की मरम्मत एवं सूचना पट आदि लगाने का कार्य पूर्ण कर लेने के पश्चात सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा तालाब का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तालाब का निर्माण मार्गदर्शिका के अनुरूप किया गया है। तालाब निर्माण का कार्य मार्गदर्शिका के अनुरूप पूर्ण होने की स्थिति में सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/अभियंता द्वारा मापी कर उसे मापी पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा एवं लाभुक को अनुदान की राशि का अन्तिम किश्त कुल अनुदान का 50 प्रतिशत राशि भुगतान की अनुशंसा की जायेगी।

- आकस्मिकता — दिनांक— 02.09.2014 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में कृषि प्रक्षेत्र के लिए आकस्मिकता मद में स्वीकृत 1.91 करोड़ रु० का व्यय प्रशासकीय/आकस्मिकता मद में किया जायेगा।

4. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है।

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

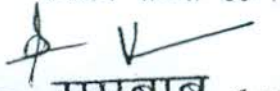
6. वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार के पत्रांक 7-1/2014-आर.के.भी.वाई. दिनांक 04.06.2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य में 391.73 करोड़ रु० उद्व्यय कर्णांकित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में भारत सरकार के पत्रांक 1-4/2014-आर०के०भी०वाई० दिनांक 29.08.2014, पत्रांक 1-4/2014-आर०के०भी०वाई० दिनांक 12.09.2014 एवं पत्रांक 1-4/2014-आर०के०भी०वाई० दिनांक 28.11.2014 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य में कुल 391.73 करोड़ रु० राशि विमुक्त की गई है।

7. स्वीकृत राशि 729.07613 लाख रुपये (सात करोड़ उनतीस लाख सात हजार छः सौ तेरह रुपये) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0203-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-P2401007890203 विषय शीर्ष- 31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 94.2656 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रवाह बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के माध्यम से किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी। बामेति से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बामेति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बामेति द्वारा कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण की योजना का कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना के परामर्श, मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का कृषि निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी, आर०के०वी०वाई० के परामर्श, मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण की योजना का कृषि निदेशक/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना के परामर्श एवं आकस्मिकता योजना का कृषि निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी, आर०के०वी०वाई० के परामर्श के अनुसार संबंधित जिला के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध कराया जायेगी। कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण की योजना के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना, मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, आर०के०वी०वाई० तथा मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण की योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना जिम्मेवार होंगे। बामेति/आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अलग से बैंक खाते का संधारण किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकक्षण का अधिकार होगा।

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 02.09.2014 को आयोजित बैठक में कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में


रामबाबू (आभारु सी० जैन)

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विश्वनाथ चौधरी)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना दिनांक 18/12, 2014

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

अपर सचिव,

कषि विभाग, बिहार, पटना।

 K_2O

पटना, दिनांक 18/12/2014

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~6/04~~
~~17-12-14~~

आपका सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/ क०,

पटना, दिनांक 18/11/2014

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना की सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~① B. 1000~~

आपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

/ क०,

पटना, दिनांक 18/12, 2014

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना /प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/ सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, नवादा, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, सासाराम, कैमूर, नालंदा, शेखपुरा एवं पटना /मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना आई०टी०

रामबाबू (आभाशू) सी० जैन)

मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक

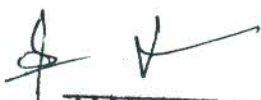
5735

/क०,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18/12/2014

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली-110011/ कृषि सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


रामबाबू (आभांशु सी० जैन)


अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।